

न्यायालय-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ जिला बड़वानी
(समक्ष- 'श्रीमती वंदना राज पाण्डेय')

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 211/2014
संस्थित दिनांक 01.04.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र,
अंजड़, जिला बड़वानी

—अभियोगी

वि रू द्ध

भगवान पिता गणपत यादव, आयु 42 वर्ष,
पेशा—ड्राईवरी, निवासी—लखनगांव,
थाना अंजड़, जिला बड़वानी

—अभियुक्त

अभियोजन द्वारा एडीपीओ — श्री अकरम मंसूरी
--

अभियुक्त द्वारा अधिवक्ता — श्री संजय गुप्ता

—: नि र्ण य :—

(आज दिनांक 26-08-2016 को घोषित)

01— पुलिस थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 65/2014 के आधार पर आरोपी के विरुद्ध दिनांक 18.03.2014 को समय दिन के लगभग 03:45 बजे स्थान मंशाराम के खेत, ग्राम लखनगांव में ट्रैक्टर क्रमांक एमपी-46-ए-3137 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर उसकी टक्कर गौराबाई को मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थिति में कारित करने, जो कि आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है, के कारण भादवि की धारा 304-ए का अभियोग है।

02— प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। बचाव पक्ष की ओर से मृतक गौराबाई की पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रपी-16 स्वीकार की है, इस प्रकार मृत गौराबाई की मृत्यु होना भी स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 18.03.2014 को शाम 05:35 बजे फरियादी ने आरोपी के विरुद्ध थाना अंजड़ पर यह देहाती नालिसी दर्ज कराई कि वह और उसकी पत्नी गौराबाई 12 बजे दिन में खेत में गेहूं निकालने गए थे और गेहूं के पुले इकट्ठे कर रहे थे, शाम लगभग 03:45 बजे आरोपी उसके ट्रैक्टर को खेत में पीछे-पीछे तेज गति एवं लापरवाही से चलाकर लाया और खेत में काम कर रही उसकी पत्नी को ट्रैक्टर का पिछला हिस्सा टकरा दिया, जिससे उसका बांया हाथ ट्रैक्टर में लगी भुजा से उखड़ गया, उसकी पत्नी जोर से चिल्लाई, तो ड्राईवर ट्रैक्टर बंद कर भाग गया, उसकी पत्नी वहीं पर मर गई, उसने ट्रैक्टर का नंबर

देखा तो पीछे प्लेट पर एमपी-46-ए-3137 लिखा था। घटना गांव के दीपक यादव व सुनील यादव ने देखी, फिर दीपक ने ही फोन से थाने पर सूचना दी और रिपोर्ट दर्ज करवाई। मंशाराम की देहाती नालिसी के आधार पर थाना अंजड़ पर मर्ग क्रमांक 0/2014 दर्ज कर जांच की तथा आरोपी के विरुद्ध उक्त अपराध क्रमांक 65/2014 दर्ज कर मृतिका का शव परीक्षण कराया गया, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए, घटनास्थल से ट्रैक्टर जप्त किया गया तथा अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके आधित्य से ट्रैक्टर के दस्तावेज व उसकी चालक अनुज्ञप्ति जप्त कर विवेचना पूर्ण कर अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में पेश किया गया।

04- उपरोक्त अनुसार मेरे द्वारा अभियुक्त को भादवि की धारा 304-ए के अंतर्गत अपराध विवरण की विशिष्टियां तैयार कर, उसे पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। द.प्र.सं. की धारा 313 के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में आरोपी का कथन है कि वह निर्दोष है तथा उसे झूठा फंसाया गया है तथा बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना प्रकट किया।

05- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि :-

क्र.	विचारणीय प्रश्न
अ	क्या आरोपी ने घटना दिनांक 18.03.2014 को शाम लगभग 03:45 बजे मंशाराम के खेत ग्राम लखनगांव में ट्रैक्टर क्रमांक एमपी-46-ए-3137 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक चलाकर उसकी टककर मृतिका गौराबाई को मारकर उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थिति में कारित की, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती ?

- विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष -

06- उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में अभियोजन साक्षी फरियादी मंशाराम (अ.सा.-1) का कथन है कि वह उपस्थित अभियुक्त को जानता है। मृतिका उसकी पत्नी थी, लगभग सवा दो वर्ष पूर्व उसे पता चला था कि उसी पत्नी की दुर्घटना ट्रैक्टर से हो गई थी, ट्रैक्टर किसका था, इस बात की उसे जानकारी नहीं है। उसने घटना की सूचना थाने पर दी थी, पुलिस ने देहाती नालिसी प्रपी-1 व मर्ग क्रमांक प्रपी-2 दर्ज की थी, जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसकी पत्नी की लाश का नक्शा पंचायतनामा बनाने के लिए सफीना फॉर्म प्रपी-3 का जारी किया था और लाश का नक्शा पंचायतनामा प्रपी-4 बनाया था, जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसे घटना कारित करने वाले ट्रैक्टर का क्रमांक व चालक का नाम नहीं मालूम। न्यायालय द्वारा साक्षी को सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि घटना के समय वह उसकी पत्नी के साथ खेत में था। साक्षी ने इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि जिस ट्रैक्टर से उसकी पत्नी की दुर्घटना हुई थी, वह रमेशचंद्र मालवीय का था। साक्षी ने इस सुझाव से भी

स्पष्ट इन्कार किया है कि ट्रैक्टर का चालक ट्रैक्टर पीछे ला रहा था, तब दुर्घटना हुई थी। साक्षी ने ट्रैक्टर का नंबर भी देखने से इन्कार किया है तथा साक्षी को उसका पुलिस कथन प्रपी-5 पढ़कर, सुनाकर समझाने पर भी साक्षी ने पुलिस को ऐसा कथन देने से इन्कार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी और वह एक ही गांव के निवासी होने से वह आरोपी को जानता है।

07— अभियोजन साक्षी दीपक यादव (अ.सा.-2), सुनील यादव (अ.सा.-3) तथा दिनेश यादव (अ.सा.-4) ने भी केवल दुर्घटना में गौराबाई की मृत्यु होने के संबंध में कथन किए हैं। उक्त साक्षियों ने भी न्यायालय व अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि आरोपी ने उक्त ट्रैक्टर क्रमांक एमपी-46-ए-3137 को तेजी एवं लापरवाही से रिवर्स में लाते हुए गौराबाई को टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी।

08— अभियोजन साक्षी सुनील यादव (अ.सा.-3) ने अभियुक्त के आधिपत्य से उक्त ट्रैक्टर के दस्तावेज जप्त करना स्वीकार किया है तथा प्रपी-8 पर अपने हस्ताक्षर होना भी स्वीकार किया है। साक्षी दिनेश यादव (अ.सा.-4) ने गौराबाई की लाश का सफीना फॉर्म प्रपी-3 व लाश का नक्शा पंचायतनामा प्रपी-4 तथा जप्ती पंचनामा प्रपी-9 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। इस साक्षी को अभियोजन की ओर से पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन के समस्त सुझावों से इन्कार किया है, वहीं, बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी दीपक यादव (अ.सा.-2) तथा सुनील यादव (अ.सा.-3) ने यह स्वीकार किया है कि वे और अभियुक्त एक ही गांव के होने से वे अभियुक्त को जानते हैं।

09— अभियोजन साक्षी पण्डु कदम (अ.सा.-5) का कथन है कि दिनांक 19.03.2014 को उसने थाना अंजड़ के अपराध क्रमांक 65/2014 में जप्त ट्रैक्टर क्रमांक एमपी-46-ए-3137 का यांत्रिकीय परीक्षण करने पर उसे चालू हालत में होना पाया था और कोई तकनीकी खराबी नहीं होना पाया। साक्षी ने उसके परीक्षण प्रतिवेदन प्रपी-11 को भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि प्रपी-11 की लिखावट उसकी हस्तलिपि में नहीं है।

10— अभियोजन साक्षी आर. एस. मण्डलोई (अ.सा.-6) का कथन है कि दिनांक 18.03.2014 को ग्राम लखनगांव के मंशाराम पिता सीताराम ने उसके खेत में उसकी पत्नी द्वारा गेहूं के पुले इकट्ठे करते वक्त आरोपी भगवान द्वारा तेज गति एवं लापरवाही से ट्रैक्टर को रिवर्स में लेकर उसकी पत्नी गौराबाई की मृत्यु कारित करने के संबंध में देहाती नालिसी प्रपी-1 की दर्ज कराई थी, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मर्ग क्रमांक 0/2014 पर प्रपी-2 का दर्ज किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने घटनास्थल का नक्शामौका प्रपी-12 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, फिर उसने घटनास्थल से ट्रैक्टर क्रमांक एमपी-46-ए-3137 प्रपी-9 के अनुसार जप्त

किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मृतिका की लाश का पंचायतनामा बनाने के लिए सफीना फॉर्म प्रपी-3 और लाश का नक्शा पंचायतनामा प्रपी-4 का बनाया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं और थाना अंजड़ पर आकर उसने उक्त ट्रैक्टर चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक 65/2014 प्रपी-14 का दर्ज किया था, जिसके ए से ए व बी से बी भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा मार्ग क्रमांक 15/2014 प्रपी-15 का दर्ज किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। फिर उसने आरोपी को गिरफ्तार किया था और आरोपी के पेश करने पर उक्त ट्रैक्टर के दस्तावेज और उसकी चालक अनुज्ञप्ति प्रपी-8 के अनुसार जप्त किए थे तथा फरियादी व साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए थे। बचाव पक्ष की ओर से किए गए प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इन्कार किया है कि मंशाराम, दीपक और सुनील एक ही परिवार के सदस्य हैं, किन्तु साक्षी ने स्पष्ट किया कि वे एक ही समाज के हैं और आगे साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से स्पष्ट इन्कार किया है कि उसने सम्पूर्ण अनुसंधान थाने पर बैठकर किया है अथवा उसने फरियादी को लाभ पहुंचाने के लिए असत्य प्रकरण तैयार किया है।

11- अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण के फरियादी, जो कि मृतिका का पति है, ने प्रपी-1 की देहाती नालिसी में उसके द्वारा घटना देखने और ट्रैक्टर चालक द्वारा ट्रैक्टर को लापरवाही से चलाकर उसकी पत्नी की मृत्यु कारित करने के संबंध में रिपोर्ट दर्ज कराई है, लेकिन न्यायालय में कथनों के दौरान उक्त दुर्घटना के वक्त स्वयं को घर पर होना बताया है और घटना देखने से स्पष्ट इन्कार किया है, यहां तक कि, ट्रैक्टर के मालिक और ट्रैक्टर चालक का नाम भी मालूम होने से इन्कार किया है तथा शेष परीक्षित साक्षियों ने भी घटना उनके सामने होने से स्पष्ट इन्कार किया है। इस प्रकार स्पष्ट रूप से किसी भी अभियोजन साक्षी ने आरोपी भगवान द्वारा घटना के समय उक्त ट्रैक्टर को फरियादी के खेत में उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक रिवर्स में चलाकर उसकी टक्कर फरियादी की पत्नी मृत गौराबाई को मारकर उसकी मृत्यु कारित करने के संबंध में कोई भी कथन नहीं किए हैं, यहां तक कि, आरोपी की पहचान भी घटना के समय ट्रैक्टर चलाने वाले व्यक्ति के रूप में नहीं हुई है। अतः ऐसी स्थिति में प्रस्तुत साक्ष्य के विवेचन से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने ही घटना दिनांक, समय व स्थान पर ट्रैक्टर क्रमांक एमपी-46-ए-3137 को उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक रिवर्स में चलाकर गौराबाई को टक्कर मारी, जिससे उसकी मृत्यु ऐसी परिस्थिति में मृत्यु कारित हुई, जो कि आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है।

12- अतः उपरोक्त समस्त साक्ष्य विवेचन से अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध संदेह से परे अपना मामला प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है। फलतः यह न्यायालय अभियुक्त भगवान पिता गणपत यादव, आयु 42 वर्ष, निवासी ग्राम लखनगांव, थाना अंजड़, जिला बड़वानी को संदेह का लाभ प्रदान कर भादवि की धारा 304-ए के अंतर्गत दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त घोषित करता है।

13- अभियुक्त के जमानत-मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं व अभियुक्त की निरोध अवधि बाबत दंप्रसं. की धारा 428 के तहत प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

14— प्रकरण में जप्तशुदा वाहन ट्रैक्टर क्रमांक एमपी-46-ए-3137 पूर्व से उसके पंजीकृत स्वामी/सुपुर्ददार के पास अंतरिम सुपुर्दनामे पर मय कागजात के है, जो अपील अवधि पश्चात अपील ना होने पर, उसके पक्ष में स्वतः निरस्त समझा जावे, अपील होने पर माननीय अपील न्यायालय के निर्देशानुसार कार्यवाही की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित।

सही / —
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़ जिला बड़वानी, म.प्र.

सही / —
(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी, म.प्र.